

न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-61/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रुस्तम अली पुत्र मोहम्मद उमर जाति मुसलमान सिपाही निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर		1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क व परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. प्रोजेक्ट डाईरेक्टर एवं अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक नागौर

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास व श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. अप्रार्थी 1 से 4 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 01-03-2019

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के कि.मी. 24/100 से कि.मी. 157/000 (अजमेर-नागौर खण्ड) तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने दो लाईन सहित पैव्ड सोल्डर को बनाना) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 के तहत पारित अवार्ड दिनांक 04.07.2016 के संबंध में प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपटित धारा 21 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 08.05.2018 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 अजमेर-नागौर सेक्शन को चौड़ा करने, दो लेन विड पेव्ड सोल्डर करने आदि के प्रयोजनार्थ अनुरक्षक, प्रबन्धक और प्रचालन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की ओर भूमि अवाप्ति प्रकरण सं. 100 प्रार्थी के संबंध में दर्ज कर प्रार्थी की आवासीय शुदा खसरा नं. 1241 रकबा 92.93 वर्गमीटर भूमि अवाप्त कर दिनांक 04.07.2016 को मुआवजा तय करते हुवे अवार्ड पारित किया जिस रकम (मुआवजा राशि) को प्रार्थी स्वीकार नहीं करता है एवं तथाकथित मुआवजा राशि अवार्ड के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही जो मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में शामिल सम्पत्ति के मैनेजमेंट, लेण्ड वैल्यू, मुआवजा प्राप्त करने के निर्धारण एवं मुआवजा प्राप्त करने के निर्धारण एवं मुआवजा के निर्धारण बाबत अवाप्ति में शामिल भूमि पर स्थित स्ट्रेक्टचर्स, पेड़ पौधे, भूमि की किस्म अनुसार, दीवार, लेण्ड वैल्यू का सही निर्धारण न किए जाने के कारण हस्तगत अवाप्ति की कार्यवाही के पुनः निर्धारण एवं हक अधिकारों के निस्तारण को मध्यस्थ द्वारा अवधारित करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2(1)-प्रार्थी शहर मेड़तासिटी तहसील मेड़तासिटी के खसरा नं. 1241 रकबा 92.93 वर्गमीटर भूमि का काबिज व मालिक है। भूमि अवाप्ति द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और किसी भी स्तर पर अवाप्त से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई व

कलक्टर, नागौर



साक्ष्य का अवसर दिए बिना की गई है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त कार्यवाही व निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रार्थी को न तो कोई नोटिस प्रेषित किया गया एवं प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिए दस्तावेजी सबूतों के विपरीत जाकर अवार्ड पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

2(2)—अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया से अवार्ड पारित किया गया है कि जिसमें न तो प्रार्थी उनके समक्ष अपना पक्ष रख सका, न ही सबूत पेश कर सका, जिसके अभाव में अवाप्ति अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रभावित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय कार्यवाही कर जबकि प्रभावित व्यक्ति या जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है उसे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए एवं तत्पश्चात् साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा अवसर प्रदान किए बिना की गई कार्यवाही और इस संबंध में पारित किया गया अवार्ड निरस्त किए जाने योग्य है।

2(3)—उक्त प्रकरण में प्रार्थी की भूमि के संबंध में अवार्ड पारित किये जाने की जानकारी हल्का पटवारी से होने पर प्रार्थी ने सम्पूर्ण अवार्ड की नकले प्राप्त की तब अभी कुछ माह पूर्व प्रार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई, तत्पश्चात् अवार्ड का विस्तृत अध्ययन करने पर यह जानकारी हुई कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा आवासीय भूमि के अनुसार नहीं दिया जाकर कृषि भूमि के अनुसार दिया गया है। तब प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है।

2(4)—विवादित भूमि आवासीय भूमि है जो आवासीय कॉलोनी पूजा नगर-ए नाम से कटी हुई है। उक्त कॉलोनी में प्रार्थी की भूमि हाईवे के चिपती हुई स्थित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड में मनमाने ढंग से डी.एल.सी. दरों व वर्तमान प्रचलित बाजार दरों की तुलना को बिना कोई साक्ष्य सबूत और जानकारी के आधार पर डी.एल.सी. दर पर मुआवजे का निर्धारण किया है जो कि किसी भी सूरत में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विवादित भूमि की बाजार दर अधिसूचना से पूर्व 500/- रुपये प्रति स्क्वायर फीट थी क्योंकि अवाप्त शुदा भूमि स्टेट हाईवे संख्या 89 पर स्थित है तथा मेडता शहर से जुड़ी हुई है तथा उक्त विवादित अवाप्त शुदा भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जायेगा एवं इस हाईवे पर आम जनता से टोल रोड व टोल टैक्स भी वसूल किया जायेगा किन्तु फिर भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की डी.एल.सी. को आधार मानकर पारित किया है जो सर्वथा अनुचित है क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा निर्धारित करते समय इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि उक्त अवाप्त शुदा भूमि स्टेट हाईवे सं. 89 मेडता शहर के बिल्कुल समीप स्थित है। साथ ही प्रार्थी की उक्त भूमि के समीप ही ज्योती नगर, ख्वाजा नगर, स्टार सिटी नाम नाम से कॉलोनी बनी हुई है जहां प्लॉट अच्छे कीमत पर विक्रय किए गए हैं जिससे स्पष्ट है कि उक्त अवाप्त शुदा भूमि की कीमत अवाप्ति अधिकारी द्वारा तय किए गए बाजार मूल्य से काफी अधिक है।

2(5)—भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड में मनमाने ढंग से डी.एल.सी. दरों व वर्तमान प्रचलित वास्तविक बाजार दरों की तुलना को बिना कोई साक्ष्य सबूत और सुनवाई के आधार पर डी.एल.सी. दर पर मुआवजे का निर्धारण किया है जो कि किसी भी सूरत में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि विवादित भूमि का मौके पर भूमि अवाप्ति से पूर्व से ही आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है किन्तु अवाप्ति अधिकारी द्वारा कृषि भूमि मानकर मुआवजा का निर्धारण किया गया है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि भूमि विकसित एरिया में स्थित आवासीय भूमि है एवं बाजार मूल्य डी.एल.सी. दर से अधिक है इसलिए प्रतिकर वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर ही दिया जाना चाहिए था किन्तु प्राधिकृत अधिकारी ने मनमाने ढंग से मुआवजा निर्धारण करने में विधिक भूल की है।

2(6)—भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम 1913 में दिये गये विधिक प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा राशि तय करनी चाहिए थी किन्तु अवाप्ति अधिकारी ने उक्त अधिनियम में दिये हुए

कंसल्टर, नागौर



विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए मुआवजा राशि तय की है क्योंकि प्रार्थी द्वारा जब उक्त भूखण्ड खरीद किया गया तो उसका बाजार मूल्य 3,00,000/- रुपये था जो तथ्य इकरारनामा दिनांक 30.04.2014 से साबित है। इसलिए इससे कम मुआवजा तो प्रार्थी को दिया ही नहीं जाना चाहिए था। इस कारण अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की भूमि के संबंध में जो मुआवजा राशि तय की है उसे परिवर्धित/संशोधित करते हुए आवासीय भूमि के अनुसार मुआवजा राशि तय किया जाना उचित व न्याय संगत है।

2(7)—विवादित भूमि के संबंध में वास्तविक बाजार मूल्य शहर मेड़ता के लिए इस निर्धारित कीमत (बाजार मूल्य) या दोनों में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार संदेय किया जाना चाहिए था एवं इस प्रकार ज्ञात बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त धारा 3(छ)(7)(2) के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए थी किन्तु अवाप्ति अधिकारी ने इन आज्ञापक प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए मुआवजा आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 04.07.2016 में से जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई है उसमें भूमि की किमत आवासीय दर अनुसार एवं सोलेसियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज आदि को परिवर्धित किया जाकर मुआवजा राशि व अन्य अनुतोष जो लाभार्थ प्रार्थी हो प्रदान करवाने का निवेदन किया है।

3—वकील अप्रार्थीगण राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुए कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 सड़क विकास के आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत(डी. 1562 दिनांक 15.01.2010) अधिसूचित होने तक उक्त अधिग्रहित भूमि का उपयोग कृषि भूमि के तौर पर किया जा रहा था, जो अधिग्रहण में आने की संभावना के कारण कृषि कार्य में उपयोग लेना बंद कर दिया गया। मुआवजा राशि बढ़वाने की नीयत से भूमि का प्लॉट आदि बनाकर बेचान प्रारम्भ किया गया प्रतीत होता है। धारा 3ए और 3डी भी विभाग द्वारा भूमि की किरम कृषि कार्य हेतु राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मानकर ही धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारित किया है, जो सही है।

3(1)—भूमि ग्राम-मेड़ता सिटी के खसरा नम्बर 1241 में से 92.93 वर्गमीटर ही अवाप्ति की गई है। यह भूमि सर्वे के वक्त एवं 3ए जारी होने तक कृषि भूमि ही थी। आवासीय भूमि हेतु संपरिवर्तन नहीं हुआ था। अतः कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि का सही भुगतान किया गया है। प्रार्थी का दावा निरस्त करने योग्य है।

3(2)—अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया मुआवजा बाजार दर के अनुसार सही किया गया है। प्रार्थीगणों को गजट अधिसूचनाओं एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा पर्याप्त रूप से पूर्व में सूचित किया गया था।

3(3)—प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का आवासीय दर से काल्पनिक मुआवजा निर्धारित करके सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे को कमतर बताया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता है।

3(4)— भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. रेट एवं तत्कालिक बाजार दर की तुलना करके भूमि की किरम अवस्थिति आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, जो अनुचित/कम नहीं है।

3(5)—सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों पर ध्यान देकर विचार विमर्श उपरान्त बाजार दर पर भूमि की किरम के अनुसार मुआवजा तय किया है। अतः इसमें वृद्धि संशोधन की गुंजाईश नहीं होने से प्रार्थी का दावा निरस्त करने योग्य है।

3(6)— उक्त खसरे की अवाप्तरुदा कृषि भूमि का मुआवजा प्रकरण 04.07.2016 को जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के समस्त प्रावधानों की पालना की गई है। 2013 के

डॉ. नागौर



अधिनियम के जो प्रावधान लागू होने थे वे लागू किये गये हैं। अतः अर्दा में संशोधन/परिवर्द्धन अपेक्षित नहीं है।

3(7)- राजपैरोकार ने गौखिक बहस में यह भी कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि असिंचित कृषि भूमि एन.एच. पर 300मीटर की दूरी पर स्थित होने से नियमानुसार असिंचित कृषि भूमि की दर को तीन गुणा करते हुऐ अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारित किया है, जो विधि अनुसार सही है।

3(8)- भूमि अवाप्ति की अधिसूचना 3ए, 3डी, 3जी अधिसूचना का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में समय-समय पर कराया जाकर हर-आम एवं प्रभावित को सूचित किया जाकर प्राप्त आपत्तियों का सुनवाई उपरान्त निस्तारण पश्चात ही मुआवजा निर्धारित कर भुगतान हेतु सूचित किया गया है। प्रार्थी का कथन गलत होने के कारण दावा निरस्त योग्य है। संदेय अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि सोलेशियम ब्याज आदि जो देय थे, नियमानुसार अर्दा में सम्मिलित किये गये हैं तथा तत्समय प्रचलित अधिकतम देय दर से मुआवजा राशि निर्धारित की किये जाने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने प्रार्थी का दावा निरस्त करने का निवेदन किया है।

4-वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार-

4(1)- नागौर-जोधपुर खण्ड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 12.09.2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुऐ अर्दा दिनांक 04.07.2016 को जारी किया गया है। इस अर्दा के तहत इस प्रकरण में मेडतासिटी के खसरा नम्बर 1241 में से 0.5680 हैक्टर भूमि बरानी-2 किस्म का अधिग्रहण किया गया, जिसका सभी हितवद्ध व्यक्तियों के पक्ष में कुल मुआवजा 78,25,223/-रुपये निर्धारित किया गया, जिसमें प्रार्थी का 92.93 वर्गमीटर रकबा दर्शाया गया है।

4(2)- अर्दा दिनांक 04.07.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 12.09.2014 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.11.2014 को प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुऐ आपत्तियां मांगी गई थी, जिस पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में दस्तावेज/सबूत आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुऐ आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियों को निस्तारण किया गया। उक्त निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत की हो, के संबंध में वकील प्रार्थी ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। तत्पश्चात धारा 3डी की अधिसूचना का दिनांक 06.08.2015 को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 07.09.2015 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06.09.2015 को प्रकाशन करवाया गया, उक्त प्रकाशन के पश्चात किसी प्रकार कोई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी ने भी उक्त प्रकाशन के पश्चात निर्धारित अवधि में सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हे सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन ठोस आधार पर नहीं है।

4(3)- प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि आवासीय दर पर दिये जाने को लेकर वकील प्रार्थीगण का कथन है। वकील प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की अवाप्तशुदा भूमि आवासीय रूपान्तरित हो। राजपैरोकार के कथनानुसार हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि असिंचित कृषि भूमि एन.एच. पर 300मीटर की दूरी पर स्थित होने से नियमानुसार असिंचित कृषि भूमि की दर को तीन गुणा करते हुऐ अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा

वकील, नागौर



निर्धारित किया है, राजपैरोकार का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण के लिए दिनांक 12.09.2014 अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना को प्रभावी भूमि के बाजार मूल्य व डीएलसी दरों की सूचना हेतु संबंधित उप पंजीयक को पत्राक-37-40 दिनांक 06.01.2016 को लिखा गया। उक्त पत्र में संबंधित तहसीलदारों से अवाप्त होने वाले रकबे का पूर्ण विवरण एवं स्वामीधारक का विवरण देते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचना तथा शहरी क्षेत्र से प्रस्तावित भूमि की दूरी और अधिसूचना जारी होने की दिनांक 12.09.2014 से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान पंजीबद्ध विक्रय/करार विलेखों की सूची का RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 के अनुसार गणना कर बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु लिखा गया। उक्त वांछित सूचना उप पंजीयक/तहसीलदार वार संबंधित क्षेत्र की डी.एल.सी. दरें प्राप्त हुई। तहसीलदार मूण्डवा, मेड़ता और रियांबडी से बाजार मूल्य निर्धारण RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों अनुसार करने हेतु निर्धारित गणना करवाई गई। उनके द्वारा मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3ए प्रकाशन दिनांक 12.09.2014 के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान विक्रय करार जिनमें उच्चतम विक्रय मूल्य का उल्लेख किया गया है, के कुल संख्या के आधे के हिसाब से औसत मूल्य की गणना धारा 3ए की अधिसूचना को विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य (डी.एल.सी) से तुलना की गई, जिसमें डी.एल.सी. दर उच्चतम पाई गई। इसलिए डी.एल.सी. दर के अनुसार मुआवजा निर्धारण की गणना का सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया है, जिसे नहीं मानने का कोई आधार नहीं है।

4(4)— हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा कुल भूमि के कुल बाजार मूल्य को कारक-1 से गुणित किया गया है। धारा 30(1) के तहत प्रतिकार की रकम के समतुल्य तोषण राशि का भी लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 30(3) के अनुसार बाजार मूल्य पर धारा 3ए के प्रकाशन की तिथि से अवार्ड निर्धारण की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रार्थी को 595 दिनों के ब्याज का भी अवार्ड में निर्धारण किया गया है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 04.07.2016 को यथावत कार्या रखा जाता है।

6— आदेश सुनाया।



(दिनेश कुमार मादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर